पत्रांक- बा0नि0रूपां0प्र0-2-तक0(अना0)-02-208/2025-

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक:-

ई0 ब्रजेश मोहन,
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)
जल संसाधन विभाग, पटना ।

सेवा में,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, मनेर ।

पटना, दिनांक-

विषय:- ***नगर परिषद, मनेर क्षेत्रान्तर्गत वार्ड संख्या-16 में गंगा नदी के किनारे अवस्थित दीघा-मनेर तटबंध के कि0मी0 21.98 के समीप सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगभग 650 फीट (198.17 मी0) की लम्बाई में पी0सी0सी0 ढ़लाई/सड़क निर्माण कार्य हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निमित्त प्रथम चरण अंतर्गत सैद्धान्तिक सहमति के संबंध में।***

प्रसंग:- ***आपका पत्रांक-821 दिनांक-04.08.2025***

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र एवं अनुशंसा के आलोक में निदेशानुसार मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, पटना परिक्षेत्राधीन सोन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, खगौल अंतर्गत नगर परिषद, मनेर क्षेत्रान्तर्गत वार्ड संख्या-16 में गंगा नदी के किनारे अवस्थित दीघा-मनेर तटबंध के कि0मी0 21.98 के समीप सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगभग 650 फीट (198.17 मी0) की लम्बाई में पी0सी0सी0 ढ़लाई/सड़क निर्माण कार्य हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निमित्त प्रथम चरण अंतर्गत सैद्धान्तिक सहमति निम्नवत शर्तो के साथ निर्गत की जाती है:-

1. नगर परिषद, मनेर क्षेत्रान्तर्गत वार्ड संख्या-16 में दीघा-मनेर तटबंध पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से पी0सी0सी0 ढ़लाई/सड़क निर्माण कार्य को विशिष्टि एवं मानकों के अनुरूप कराना होगा एवं यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र मात्र पी0सी0सी0 सड़क निर्माण हेतु मान्य होगा ।
2. नगर परिषद, मनेर क्षेत्रान्तर्गत वार्ड संख्या-16 में दीघा-मनेर तटबंध पर पी0सी0सी0 ढ़लाई/सड़क निर्माण कार्य के दौरान सभी अपेक्षित मानकों एवं सुरक्षात्मक उपायों का पूर्णत: अनुपालन कराना होगा । पी0सी0सी0 सड़क निर्माण के अतिरिक्त कोई भी ढाँचागत निर्माण अवैध होगा एवं इसे अतिक्रमण मनाते हुए विधि संगत कार्रवाई जल संसाधन विभाग द्वारा किया जायेगा ।
3. इस तटबंध/ सड़क पर भारी वाहनों का परिचालन पूर्णतया वर्जित होगा । उक्त हेतु प्रस्तावित पी0सी0सी0 ढ़लाई/सड़क निर्माण कार्य के दोनो तरफ Height barrier लगाना होगा ।
4. प्रस्तावित पी0सी0सी0 ढ़लाई/सड़क निर्माण कार्य दीघा-मनेर तटबंध के Highest flood level में Free board जोड़कर finish किया जाय । उक्त Level को आवश्यकतानुसार Earth work filling एवं 6 इंच Granular sub-base के साथ Meet करना होगा ।

5. दीघा-मनेर तटबंध के प्रस्तावित कार्याश पर Damaged brick on edge soling को Remove करके Removed brick को Salvage में लेकर कार्य कराया जायेगा ।
6. कार्य आरम्भ के पूर्व जल संसाधन विभाग द्वारा कराये गये Brick soling का salvage material कार्यपालक अभियंता, सोन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, खगौल, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
7. प्रस्तावित कार्य 6 इंच M-15 P.C.C. ढ़लाई की चौड़ाई 10 फीट रखते हुए 2-2 फीट का Both side shoulder brick on edge soling प्रावधानित करना होगा ।
8. कार्यस्थल के आवश्यक स्थलों पर Danger post लगाना होगा, जिससे कि आमजनों इत्यादि का इस ओर ध्यान आकृष्ट हो सके ।
9. कार्य के दौरान नदी की धारा/जलप्रवाह को किसी भी परिस्थिति में अवरूद्ध नहीं करना होगा ताकि जलप्लावन (Water logging) की स्थिति उत्पन्न नहीं हो ।
10. प्रस्तावित दीघा-मनेर तटबंध पर पी0सी0सी0 ढ़लाई कार्य के पश्चात् सड़क की मरम्मति एवं संपोषण का कार्य एवं व्यय का वहन नगर परिषद, मनेर द्वारा किया जायेगा ।
11. नदी के चाट भूमि या नदी के किसी भी भाग से मिट्टी नहीं काटी जायेगी एवं नदी के बेड लेवल को किसी भी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं किया जायेगा ।
12. बाढ़ अवधि में किसी भी प्रकार के कार्य कराने की अनुमति नहीं होगी ।
13. नदी की morphology अक्षुण्ण रखना होगा । बाढ़ अवधि में सड़क निर्माण स्थल के पास नदी के Behaviour की सतत निगरानी एवं आवश्यकतानुसार जल संसाधन विभाग को सूचना देकर बाढ़ संघर्षात्मक/सुरक्षात्मक कार्य कराने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी एवं देयता नगर परिषद, मनेर की होगी एवं इस संबंध में जल संसाधन विभाग के अभियंताओं का परामर्श/दिशा निर्देश का शत प्रतिशत अनुपालन करना होगा ।
14. कार्य समाप्ति के उपरान्त स्थल पर बचे हुए किसी प्रकार के अवशेष निर्माण सामग्री/खुदाई के क्रम में Excavated materials को पूर्ण रूप से हटाना होगा ।
15. प्रस्तावित दीघा-मनेर तटबंध पर पी0सी0सी0 ढ़लाई/सड़क निर्माण कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना/अनदेखी की पूरी जवाबदेही नगर परिषद, मनेर की होगी ।
16. उक्त कार्य से जल संसाधन विभाग के स्वामित्व वाले तटबंध के भाग का स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होगा अर्थात जल संसाधन विभाग का स्वामित्व यथावत् बना रहेगा ।
17. कार्य कराते वक्त जल संसाधन विभाग के अभियंताओं द्वारा दिए गए निदेशों का अनुपालन करना होगा ।
18. यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र सिर्फ जल संसाधन विभाग की तरफ से है एवं अन्य विभागों से यदि आवश्यक हो तो, अनापत्ति प्रमाण-पत्र अलग से प्राप्त करना होगा ।
19. कार्य के दौरान नदी/तटबंध पर उत्पन्न किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति की जिम्मेवारी नगर परिषद, मनेर की होगी ।
20. कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति की सूचना जल संसाधन विभाग के संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता को ससमय देना होगा ।
21. किसी भी प्रकार के Dispute की स्थिति में जल संसाधन विभाग का निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होगा ।

22. बिहार सरकार जल संसाधन विभाग का आदेश सह ज्ञापांक-यो0मो0-4 (विविध)07-372/2020 पार्ट-II-143/पटना दिनांक-06.03.2025 द्वारा बिहार राज्य अंतर्गत तटबंधित नदियों के लागू किए गये Flood plain zoning के प्रावधानों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा ।
23. विभागीय पत्रांक-608, दिनांक-05.08.2024 की कंडिका-7 एवं 8 का अनुपालन अनिवार्य होगा।
24. उपर्युक्त शर्तो का अनुपालन नहीं करने पर प्रथम चरण अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निमित्त निर्गत सैद्धान्तिक सहमति रद्द कर दी जायेगी ।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांक:- बा0नि0रूपां0प्र0-2-तक0(अना0)-02-208/2025 दिनांक:-

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना/ अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण अंचल, पटना / कार्यपालक अभियंता, सोन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, खगौल को सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांक:- बा0नि0रूपां0प्र0-2-तक0(अना0)-02-208/2025 40 दिनांक:- 31/01/2026

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित ।

31/01/26

(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय